

अतिक्रमण ननि अमले ने अवैध कब्जों के खिलाफ की ताबड़तोड़ कार्रवाई

3 मंजिला भवन के हिस्से को किया जमींदोज



नवभारत, जबलपुर। नगर निगम के अतिक्रमण दस्ते ने गुरूवार को शहर के विभिन्न इलाकों से अवैध कब्जे हटाए। इस संबंध में अपर आयुक्त अरविन्द शाह एवं अतिक्रमण प्रभारी अधिकारी मनीष तड़से ने बताया कि टीम ने क्रमशः मछली मार्केट से नालबंद मोहल्ला तक व्यापारियों द्वारा किए गए अस्थायी अतिक्रमण को हटाया गया, जिससे मार्ग चौड़ा और सुगम हो सका। सिविक सेंटर और

समदड़िया मॉल जैसे व्यस्त इलाकों में दिन के साथ-साथ रात्रिकालीन कार्रवाई भी गई। धनवंतरी नगर साईं कॉलोनी में भवन शाखा के सहयोग से अवैध संरचनाओं को ध्वस्त किया गया, वहीं भूकंप कॉलोनी में नाले और चैंबर के ऊपर किए गए निर्माणों को हटाकर जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त की गई। इसके साथ ही अमले ने कलेक्ट्रेट से इंदिरा मार्केट तक सड़कों पर खड़े ठेले-टपटों को

हटाकर पैदल यात्रियों के लिए रास्ता साफ किया गया। कार्यवाही के दौरान सहायक अतिक्रमण निरोधक अधिकारी अखिलेश सिंह भदौरिया, एकता रघुवंशी तथा सहायक परिवहन एवं यातायात प्रबंधन अधिकारी दीपेंद्र सिंह रावत, दल प्रभारी एवं कर्मचारीगण जोसफ प्रवीण, अंकित पारस, वीरेंद्र मिश्रा, कुलदीप त्रिपाठी, दुर्गा राव सहित अन्य संबंधित स्टाफ उपस्थित रहा।

मकान पर अवैध कब्जे पर एफआईआर का आदेश

जबलपुर। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी डीपी सूत्रकार की अदालत ने तीन दशक पुरानी रजिस्ट्री के मकान में अवैध कब्जे पर एफआईआर का आदेश पारित किया है। अदालत ने बरगी पुलिस को निर्देशित किया है कि तीन दिन में एफआईआर दर्ज कर उसकी प्रति अदालत में प्रस्तुत की जाए। मामले की अगली सुनवाई नौ फरवरी को नियत की गई है। आवेदक जबलपुर निवासी प्रकाश कुमार रिझवानी की ओर से अधिवक्ता बुजेंद्र सिंह बघेल व लोकेश मिश्रा ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि आवेदक की मां उमा देवी ने ग्राम तिनसीए बरगी की भूमि पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय की थी। इसके बाद सीमांकन कराया। साथ ही चार कमरों का खपरैल वाला मकान बनाया। बिजली मीटर उमा देवी के नाम दर्ज है। संपत्ति की देखरेख के लिए चौकीदार अनी लाल को रखा। कुछ समय बाद पता चला कि उस मकान पर अश्वनी सोनकर ने कब्जा कर लिया है। उसने चौकीदार अनीलाल को रात में डरा-धमका कर रात भेज दिया। जब इस बात को लेकर आवेदक ने विरोध किया तो कब्जेधारी ने अभद्रता कर भगा दिया। पुलिस द्वारा रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। इसलिए अदालत की शरण ली गई है। सुनवाई पश्चात् अदालत ने उक्त निर्देश दिये।

करंट से युवक की मौत पर टेंट संचालक को छह माह की सजा

जबलपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शुभांगी पालो दत्त की अदालत ने शादी समारोह में करंट लगने से युवक की हुई मौत के मामले में टेंट संचालक उत्तम सिंह महोबिया को छह माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर तीन हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अदालत के समक्ष एडीपीओ अभय मिश्रा ने पक्ष रखा। जिन्होंने बताया कि 21 जून 2014 को ग्राम कटियाघाट में शिवप्रसाद बेन की लड़की कुमारी शान्ति बेन की शादी का कार्यक्रम सामुदायिक भवन में था। कार्यक्रम में उत्तम टेन्ट हाउस गौर के मालिक उत्तम महोबिया द्वारा टेन्ट एवं लाइट डेकोरेशन का कार्य किया गया था। आरोपी के द्वारा लोहे के पाइप पर बिजली के तार लापरवाही पूर्वक लगाए गए थे। रात्रि लगभग 11:30 बजे सौरभ वंशकार को लोहे के पाइप से बिजली का करंट लगने के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। जिस पर आरोपी आरोपी उत्तम महोबिया के खिलाफ बरेला पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का प्रकरण दर्ज किया गया था। सुनवाई पश्चात् अदालत ने आरोपी टेंट संचालक को उक्त सजा सुनाई।

गलत खसरे की जमीन का सौदा कर हड़पे 33 लाख

रांझी पुलिस ने बिल्डर समेत दो के खिलाफ दर्ज की एफआईआर



नवभारत, जबलपुर। रांझी में गलत खसरे की जमीन का सौदा कर जालसाजों ने महिला से 33 लाख रूपए हड़प लिए। मामले में पुलिस ने बिल्डर समेत दो के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। सुष्मिता राय कुरील वरुण वर्ष 2021 में बिल्डर श्रीराम कुशवाहा से 24 वर्ग फुट की जमीन खरीदी थी जिस पर 1200 रूपए वर्गफुट प्लॉट 29 लाख रूपए में क्रय किया गया था। जिस पर मकान बनाया गया। श्रीराम कुशवाहा वरुण जब मकान का एग्रिमेंट किया गया था उस समय खसरा नं.593/1 लेख किया गया था जो आदिवासी महिला गुड्डि बाई कोल की है उस समय सुष्मिता को यह जानकारी नहीं थी की उक्त जमीन गुड्डि बाई कोल की है। जब रजिस्ट्री हुई थी उस समय खसरा नं. 634/4 दर्ज है जो प्रफुल्ल शुक्ला की जमीन है जिसे अनिल चौधरी वरुण पावर आफ अटर्नी लेकर श्रीराम कुशवाहा एवं अनिल चौधरी से रजिस्ट्री कराई गई थी व अनिल चौधरी से दस्तख

उसके साथ छल करते हुए गलत खसरा नम्बर बताते एग्रिमेंट में 593/1 होना और 634/4 इसी तरह श्रीराम कुशवाहा एवं अनिल चौधरी वरुण गलत खसरे की जमीन बेचना व बची हुई रकम 33 लाख रुपये की धोखाधड़ी की है। पुलिस ने शिकायत पर श्रीराम कुशवाहा एवं अनिल चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है।

किसी को बताया तो पूरे परिवार को मार दूंगा
पड़िता के मुताबिक जब उसने बिल्डर श्रीराम कुशवाहा को गलत खसरे की जमीन बेचने का बोला तो उसने उसे धमकी भरे शब्दों में यह कहा कि यह बात तुम लोग किसी को मत बताना वरना पूरे परिवार को गोली मार दूंगा। जिससे वे एवं उसका परिवार डर गया था। गुड्डि बाई के द्वारा रोज मकान खाली करने की धमकी दी जाने लगी थी।

धमकियां से बिगड़ी तबियत, दहशत में नहीं की शिकायत

बिल्डर श्रीराम एवं ठेकेदार नरेश चौधरी अपने चार गुड्डों के साथ आया और धमकाया। इसके बाद उसके घर का सामान बाहर फेंकने की धमकी दी। डर के कारण शिकायत नहीं की थी। इस दौरान वह 7 माह की गर्भवती थी, धमकियों के कारण वह बहुत डर गई थी व उसकी तबीयत खराब हो गई उसका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा था। इस बीच उसने नवजात बच्चे को जन्म दिया जो वैटिलेटर में रखा गया। आरोपियों द्वारा उसे मानसिक व शारीरिक प्रताड़नाएं दी गयीं हैं।

पवन एक्सप्रेस में कैटरिंग स्टाफ के साथ मारपीट, सीटीआई निलंबित

जबलपुर, नवभारत। चलती ट्रेन में रेलवे अधिकारी द्वारा ऑनबोर्ड कैटरिंग स्टाफ के साथ मारपीट का गंभीर मामला सामने आया है। यह घटना नरसिंहपुर से जबलपुर के बीच बांद्रा-पटना एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 22971 में ऑनबोर्ड चेकिंग के दौरान हुई। आरोप है कि कमर्शियल टिकट इस्पेक्टर और टीटी ने टीएसवी कैटरिंग मैनेजर के साथ मारपीट की, जिससे कैटरिंग मैनेजर के हॉट फुट गए और खून निकलने लगा। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद रेल प्रशासन इरक्त में आया है और आरोपी सीटीआई को सस्पेंड कर दिया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के

अनुसार विवाद की शुरुआत मुफ्त कैटरिंग सेवा की मांग को लेकर हुई। आरोप है कि सीटीआई ने फ्री में खाना न देने पर पहले अभद्र व्यवहार किया और फिर मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान अन्य ऑनबोर्ड स्टाफ के साथ भी धक्का-मुक्की और धमकी दिए जाने की बात सामने आई है। यात्रियों के मुताबिक घटना के समय ट्रेन में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। वीडियो में रेलवे कर्मियों द्वारा कैटरिंग स्टाफ के साथ मारपीट और धमकी देते हुए साफ देखा जा सकता है। वीडियो में वेंडर अंशु

सिंह ने आरोप लगाया कि सीटीआई एक हजार रूपए और मुफ्त खाना मांग रहे थे। मांग पूरी न होने पर इतनी मारपीट की गई कि हॉट फुट गया और खून निकलने लगा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनका मोबाइल छीन लिया गया और ट्रेन से कहीं जाने नहीं दिया गया। वीडियो में वेंडर सीटीआई भगवान सिंह ठाकुर से यह कहते नजर आ रहा है कि डॉक्यूमेंट चेक के नाम पर उसे बेवजह परेशान किया गया। वहीं, दूसरी ओर भगवान सिंह ठाकुर का कहना है कि डॉक्यूमेंट मांगने पर वेंडर ने उनकी कॉलर पकड़ ली और धमकी दी।

शर्मनाक : दरिदा बुजुर्ग महिला की लूटता रहा आबरू

हेवानियत-दरिदगी की रांझी थाने में एफआईआर दर्ज



नवभारत, जबलपुर। रांझी थाना अंतर्गत रिछाई में एक हैवान बुजुर्ग महिला को डरा धमकाकर उसकी आबरू लूटता रहा। पीड़िता ने अब थाने पहुंचकर हैवानियत-दरिदगी से पुलिस को अवगत कराया। पुलिस ने दरिदे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 58 वर्षीय महिला निवासी रिछाई में रिपोर्ट दर्ज कराई कि महेश चक्रवर्ती उसके पति का दोस्त है। वर्ष 2024 में सावन माह में महेश

चक्रवर्ती ने प्रसाद भोजन देने के लिए उसे घर बुलाया था जब वे प्रसाद लेने उसके घर गईं तो जबरदस्ती उसके साथ गलत काम किया। इसके बाद पति को जान की धमकी डर के कारण वे चुप रही। महेश चक्रवर्ती उसे डरा धमकाकर 25 अगस्त 2024 से

25 अप्रैल 2025 तक डरा धमकाकर पति को जान जान से

मरने की धमकी देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा।

डर से अब तक रिपोर्ट नहीं की थी।

किशोरी का अपहरण कर बलात्कार, वीडियो बना की ब्लैकमेलिंग

वीडियो-फोटो वायरल करने की धमकी देकर किया ब्लैकमेल अशरताल थाना अंतर्गत महाराजपुर में रहने वाली एक 15 वर्षीय किशोरी का अपहरण कर लिया जलपरी के पास दोस्त के घर में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया। इसके बाद अश्लील फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी देकर लगातार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 45 वर्षीय महिला निवासी महाराजपुर ने रिपोर्ट कराई कि राज रजक उसकी 15 साल की बेटी को 9 दिसंबर 2024 को उसके स्कूल के बाहर से बहला फुसलाकर अपहरण कर ले गया और जलपरी अपने दोस्त के मकान में ले जाकर शारीरिक संबंध बनाया। चार एवं पांच फरवरी की दरम्यानी रात करीब दो ढाई बजे भी बहला फुसलाकर अपने घर ले गया था। आरोपित किशोरी की अश्लील वीडियो, फोटो वायरल करने की धमकी देकर लगातार उसे ब्लैकमेल कर रहा था। पुलिस ने रिपोर्ट पर अपहरण, पाक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर आरोपी राज रजक पिता सोनू रजक 20 वर्ष निवासी महाराजपुर को गुरूवार को गिरफ्तार कर लिया है।

डर से अब तक रिपोर्ट नहीं की थी।

तवा और लाठियों से जानलेवा हमला, तीन घायल, एक गंभीर

नवभारत, जबलपुर। बरेला थाना अंतर्गत ग्राम खमरिया में पैसे के लेनदेन पर बदमाशों ने तवा और लाठियों से जानलेवा हमला कर दिया जिसमें तीन लोग घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। पुलिस के मुताबिक कृष्ण कुमार लोधी 50 वर्ष निवासी ग्राम खमरिया चौकी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि धर्मद लोधी उसके मामा का लड़का हैं वह और धर्मद लोधी एक साथ रहते हैं। गांधी गाँविया घर आया और धर्मद

लोधी के साथ विवाद कर बोला कि मेरा पैसा नहीं दे रहा है, और वही पास में रखे लोहे के तवा से हत्या करने की नियत से सिर में मारा धर्मद लोधी के सिर से खून बहने लगा उसी समय राहुल गोठिया, राजा गोठिया, भंगी गोठिया आ गये और धर्मद लोधी को हाथ मुक्की एवं लाठी से मारने लगे तब उसने एवं बन्धू मिश्रा ने बीच बचाव किये तो सभी मारपीट कर भाग गए। धर्मद लोधी को सिर, उसे एवं बन्धू को गाल में चोट आ गई है।

ट्रेनों की लेटलतीफी जारी

जबलपुर, नवभारत। ट्रेनों की लेटलतीफी कुछ दिनों की राहत के बाद फिर से शुरू हो गई है। इसका कारण उत्तर भारत में घना कोहर को माना जा रहा है जिसका प्रभाव दिल्ली व यूपी-बिहार से जबलपुर आने वाली गाड़ियों पर जबरदस्त पड़ रहा है। ट्रेनों के विलंब से पहुंचने के कारण यात्रियों की परेशानी बढ़ी हुई है जो ट्रेनें जबलपुर विलंब से पहुंच रही थीं, उनमें महाकौशल एक्सप्रेस 6 घंटा व श्रीधाम निजामुद्दीन एक्सप्रेस 3 घंटा शामिल होने के अलावा भोपाल-इटारसी विद्यावल एक्सप्रेस 4 घंटा 20 मिनट, 51704 नैनपुर-जबलपुर पैसेंजर 1 घंटा 30 मिनट, 11448 हावड़ा-जबलपुर शक्तिजुन एक्सप्रेस 1 घंटा 45 मिनट और 06510 दानापुर हम्पफर एक्सप्रेस 9 घंटा 20 मिनट देरी से रह रही थी।

देर रात पार्टी कर बजा रहे थे कानफाड़ डीजे

रादुविधि अतिथि आवास लॉन में पुलिस की रेड

नवभारत, जबलपुर। सिविल लाइन थाना अंतर्गत पचपेडी दुर्गावती विश्वविद्यालय के अतिथि आवास के लॉन में देर रात्रि पार्टी कर डीजे बजाया जा रहे थे। पुलिस ने दबिश दी तो वहां अफरा-तफरी मच गई। पुलिस ने डीजे बंद कराने के साथ साउंड ऑफरेटर के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर साउंड बाक्स, मिक्सर मशीन, एम्प्लीफायर को जब्त किया।

पुलिस के मुताबिक सूचना मिली कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के अतिथि आवास पचपेडी में तेज साउंड से ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाया जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस ने दबिश दी। अतिथि आवास के लॉन में लोग पार्टी करते हुये तेज डीजे साउंड में ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग करते हुये रात्रि 11:40 बजे तेज आवाज में साउंड बजा रहे थे। साउंड ऑफरेटर राकेश कुमार चौधरी पिता विठ्ठल चौधरी 57 वर्ष निवासी झंडा चौक कांचघर से पृछताछ की गई। उक्त साउंड

सिस्टम को बजाने की अनुमति संबंधी वैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत करने कहा गया जिसने कोई वैधानिक दस्तावेज मौके पर प्रस्तुत नहीं किया। राकेश कुमार चौधरी साउंड ऑफरेटर का बिना सक्षम अधिकारी की वधि अनुमति के साउंड सिस्टम तेज ध्वनि से रात्रि 11:40 बजे बजाते पाया जाने से मप्र कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। मौके से दो बड़े साउंड बाक्स, दो छोटे साउंड बाक्स, एक मिक्सर मशीन, एक एम्प्लीफायर को जब्त किया गया।

सेवानिवृत्त पुलिस कर्मी, पूर्व पार्षद को बदमाशों ने धमकाया, तोड़फोड़

जबलपुर। गढ़ा थाना अंतर्गत इंद्रा बस्ती में बदमाशों ने जमकर उपद्रव मचाया। सेवानिवृत्त पुलिस कर्मी और पूर्व पार्षद को धमकाने के साथ तोड़फोड़ कर दी। पुलिस ने रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक राम सिरवेया निवासी इंद्रा बस्ती ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वे पुलिस विभाग में डॉंग मास्टर से सेवानिवृत्त हैं। रात 11 बजे मोहल्ले के सागर ठाकुर एवं प्रदीप गौड़ आए और हमारे घर के गमला फेंक कर

तोड़फोड़ कर दी। बाहर निकलकर देखें और बोले कि तुम लोग गमला मचाया। सेवानिवृत्त पुलिस कर्मी और पूर्व पार्षद को धमकाने के साथ तोड़फोड़ कर दी। पुलिस ने रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक राम सिरवेया निवासी इंद्रा बस्ती ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वे पुलिस विभाग में डॉंग मास्टर से सेवानिवृत्त हैं। रात 11 बजे मोहल्ले के सागर ठाकुर एवं प्रदीप गौड़ आए और हमारे घर के गमला फेंक कर

रील बना दिखाई गुंडई, पुलिस ने निकाली हेकड़ी

लाइक-व्यू पाने चमकाई बदमाशी, प्रकरण दर्ज

नवभारत, जबलपुर। लाइक-व्यू पाने और बदमाशी चमकाने युवक ने हथियारों के साथ रील बनाई और सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। जिसकी भनक लगते ही पुलिस सक्रिय हुई और आरोपी को दबस्त करने के लिए एक्टिविटी के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। बदमाश की पुलिस ने हेकड़ी



निकाली। जिसके बाद वे हाथ जोड़कर पकड़कर माफी मांगते नजर आया। टीआई राजकुमार खटीक ने बताया कि कमलेश गौड़ 21 वर्षीय निवासी उमरिया

लालमाटी ने सोशल मीडिया पर 302 के नाम से आईडी बनाई। इस आईडी पर उसने तलवार, फरसा समेत अन्य हथियारों के साथ अपनी वीडियो बनाई वायरल कर दी।

चरित्र संदेह पर पत्नी ने पति पर किया हंसिया से वार

जबलपुर। माढोताल थाना अंतर्गत चंद्र नगर में चरित्र संदेह पर पत्नी ने पति पर हंसिया से वार कर दिया। पुलिस ने बताया कि विपिन यादव 45 वर्ष निवासी चंद्र नगर माढोताल ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह प्रायर्टी का काम करता है। पति उससे चरित्र पर संदेह करता है उससे बोली तुम घर से जाओ। पति ने गालीगलौज करते हुये हंसिया से हमला कर सिर, कान, चेहरे व हाथ में चोट पहुंचा दी।

सम्राट पृथ्वीराज की प्रतिमा खंडित करने वालों पर हो कार्रवाई

नवभारत, जबलपुर। पश्चिम विधानसभा देवताल शैलपर्ण उद्यान में स्थापित अमर बलिदानी सम्राट पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा की नाक तोड़ जाने को लेकर पृथ्वीराज चौहान फाउन्डेशन, क्षत्रिय राजपूत समाज, कांग्रेस पार्टी, महाकौशल जनप्रतिनिधि विचार मंच सहित अनेक सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने आक्रोश व्यक्त किया है। संगठन के दीपक सिंह ने बताया कि मामले को लेकर गढ़ा

मंांग की गई है कि प्रतिमा खंडित करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पृथ्वीराज चौहान फाउन्डेशन, क्षत्रिय राजपूत समाज, कांग्रेस पार्टी, विजय कांडा, राजेन्द्र चौधरी, कमला चौहान, रूपलाल यादव, सहित अनेक सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किए जाने को लेकर आक्रोश व्यक्त करते हुए उद्य जन आंदोलन की भी चेतावनी दी है।



पुलिस में शिकायत की गई है और

शादी में कटनी गया परिवार, घर से जेवर, नगदी ले उड़े चोर

नवभारत, जबलपुर। खमरिया थाना अंतर्गत पिपरिया में चोरों ने एक सूनू घर का ताला तोड़कर नगदी समेत सोने चांदी के जेवराल पार कर दिए। चोरों ने वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब परिवार शादी समारोह में शामिल होने के लिए कटनी गया हुआ था। पुलिस के मुताबिक विनोद लखेरा पिता रामलाल लखेरा 49 वर्ष निवासी पिपरिया ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह फ्लावर डेकोरेशन का काम करता है। घर के सामने गुटखा शान की दुकान है। बुधवार शाम अपने पूरे परिवार के साथ अपनी भांजी की शादी में सिलोडी जिला कटनी की घर में ताला लगाकर गया था शादी समारोह से गुरूवार दोपहर लगभग 12 बजे अपने परिवार के

साथ वापस आया तो घर के बाहर का मेन गेट खोला और अंदर गया तो घर में घुसने वाले दरवाजे का ताला टूटा हुआ था। सामान बिखरा पड़ा था चोर उसके घर एवं दुकान में घुसकर नगद 36 हजार रूपए समेत सोने चांदी के जेवराल चुराकर ले गए।

लगुन में गए दंपति घर में हुई चोरी
पनागर थाना अंतर्गत कृष्णा कॉलोनी में सूनू मकान का ताला तोड़कर चोर सोने चांदी के जेवर एवं नगदी रूपये चोरी कर ले गए। चोरों ने वारदात को उस समय अंजाम दिया जब पति पत्नी लगुन में गए थे।

पुलिस ने बताया कि बलराम पटेल 50 वर्ष निवासी कृष्णा

कॉलोनी पनागर ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह खेती किसानी का काम करता है। गत शाम लगभग 7 बजे वह एवं उसकी पतिन केसर पटेल लगुन के कार्यक्रम में जिया मैरिज गार्डन पनागर गये थे, रात 12-30 बजे घर वापस आये तो देखा घर में लगा ताला टूटा हुआ था, अंदर जाकर देखा तो अलमारी खुली हुई थी, अलमारी में रखे सोने की झुमकी, 1 अंगूठी, फूल, चांदी की 4 जोड़ पायल, संतानसाते की 20 चूड़ी, 20 सिक्के, कमर का गुच्छा, 2 जोड़ बिबिया, करधन, नगदी 28 हजार 500 रूपये गायब थे। कोई अज्ञात चोर सूनू मकान का ताला तोड़कर घर के अंदर घुसकर सोने चांदी के जेवर एवं नगदी रूपये चोरी कर ले गया है।

सौगात

2.5 करोड़ की लागत से गुर्दों में बनकर तैयार है मछली मार्केट

मछली विक्रय करने वाले कारोबारियों को जल्द मिलेगी मार्केट की सौगात

“पहले आओ, पहले पाओ” के सिद्धांत पर किया जायेगा आवंटन



संभागीय आधिकारी मयंक चौरसिया आदि के साथ बैठक कर निर्णय लिया और बताया कि नगर निगम जबलपुर द्वारा गुर्दों क्षेत्र में एक आधुनिक और व्यवस्थित मछली मार्केट का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। यह कार्य राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड हैदराबाद

द्वारा प्रदत्त 2.5 करोड़ रुपये की लागत से कराये गए हैं। यहाँ पर बने मार्केट में व्यापारियों को अब एक छत के नीचे बेहतर स्वधिधाएं मिलेंगी और व्यापारी स्वभिमान के साथ अपना व्यापार कर सकेंगे।

निगमायुक्त श्री अहिरवार ने बताया कि नवनिर्मित मार्केट में 50 दुकानें बनकर आवंटन के लिए तैयार है। शहर के मछली व्यापारियों पहले आओ, पहले पाओ के सिद्धांत पर दुकानों का आवंटन किया जायेगा।

सड़क किनारे मछली विक्रय पर अब पूर्ण प्रतिबंध

शहर की स्वच्छता, जनस्वास्थ्य और यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के उद्देश्य से नगर निगम द्वारा गुर्दों क्षेत्र में एक व्यवस्थित मछली मार्केट का निर्माण कराया गया है। इस संबंध में निगमायुक्त ने बताया कि शहर की सड़कों के किनारे खुले में मांस, मछली विक्रय करना शासन द्वारा पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। अब यदि कोई व्यापारी सड़क किनारे खुले में मछली का क्रय-विक्रय करते पाया जायेगा तो उसके विरुद्ध नगर निगम द्वारा जिला एवं पुलिस प्रशासन के सहयोग से कड़ी कार्रवाई की जायेगी।